FORM NO. III

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम 3420105 अधिकारी बाड़ी

हरदेवमाली बनाम कजोड़माली

२१·वाद नं. 82 सन् 12

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/2/19 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
26.02.2019 पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता नियत सुनवाई पर अनुपस्थित। वादी व उनके अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वंय अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नही आया। विगत आदेशिकाओं को देखने से भी यह प्रतीत होता है कि वादी पक्ष वाद पत्र में आवश्यक प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करने में रूची नही ले रहे है। अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर-हो।	